

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए।

05/02/25
पोस्टमैन अधिकारी ^{स्वागत-201} अन्य कार्यों में
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक... 25/1/25
को पेश हो।
[Signature]

11/8/25
पोस्टमैन अधिकारी ^{स्वागत-201} अन्य कार्यों में
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक... 11/8/25
को पेश हो।
[Signature]

12/11/25
अभिभावक मण्डल ने कार्य
स्थगित किया है। दिनांक ... 12/11/25
को पेश हो
[Signature]

26/11/25
पत्रावली पेश। वरु. उप.
TDR रिपोर्ट जा. जा. शा. मि. हो।
मुताबिक TDR रिपोर्ट 30/7/25 के
अनुसार पण्डित दिनदयाल उपाध्याय
संबल परवाड़ा में पक्षकारन ने
आपसी सहमती से विभाजन करा
लिखा है। जिसके खाते भी अलग-
अलग हो चुके हैं। इसलिए दाया
वादी की कार्यवाही ट्रेप की जाती
है। पत्रावली नम्बर से कम होकर
हाद उक्ति जमा लेकर भण्डार है।

[Signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए।

मंगल्या बनाम लाला

वाद संख्या- 02 / 139 / 2023

13.07.2023 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया किया कि असल अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण हाल खाता संख्या 84, आराजी खसरा नम्बर 211/0.43, 212/0.09, 213/0.48, 218/0.02, 219/0.33, 221/0.61, कुल किता 6 कुल रकबा 1.96 हैक्टर, खाता संख्या 101 आराजी खसरा नम्बर 211/255/0.20, 212/256/0.08 कुल किता 2 कुल रकबा 0.28 हैक्टर वाके ग्राम भौखरी तहसील राजगढ़ जिला अलवर व खाता संख्या 137 आराजी खसरा नम्बर 216/0.89 हैक्टर वाके ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर के विधिवत् रूप से तकसीम होने तक आराजी के किसी विशिष्ट भाग को दीगर शख्सों को किसी भी प्रकार से मुंतकिल कर मुंतकिली का दस्तावेज पंजीबद्ध न करे न करावे, ना ही प्रार्थी को उसकी कब्जेशुदा आराजी से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करते हुए कोई निर्माण कार्य करें, ना ही प्रार्थी को उसके कब्जेशुदा आराजी के कब्जे-काश्त व उपयोग-उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करें एवं उक्त आराजी के मौके बाराजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत् बनाये रखे। साथ में शपथ पत्र पेश है।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 6/9/2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि हाल खाता संख्या 84, आराजी खसरा नम्बर 211/0.43, 212/0.09, 213/0.48, 218/0.02, 219/0.33, 221/0.61, कुल किता 6 कुल रकबा 1.96 हैक्टर, खाता संख्या 101 आराजी खसरा नम्बर 211/255/0.20, 212/256/0.08 कुल किता 2 कुल रकबा 0.28 हैक्टर वाके ग्राम भौखरी तहसील राजगढ़ जिला अलवर व खाता संख्या 137 आराजी खसरा नम्बर 216/0.89 हैक्टर वाके ग्राम मूनपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलव होकर पेश हो। एवं रजिस्टर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 06/09/2023 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
जिला-अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व त.
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए।

14/6/2024 पत्रावली केना वडुलाय
उफर प्रमि अप्पाळी का जवान
सुन्दर पिन्ना जाता है पत्रावली
तादते लक्षण ता; डिनोव 31/7/24
को पेश है।
SSR
SDO

31/7/24
श्रीन अधिकारी अन्य कार्या में
है। पत्रावली विनांक.. 22/9/24
है।

20/9/24 पत्रावली पेश। वडुलाय उफर
बाहस वडुलाय की सुनी गई। बादगौर
पत्रावली व बाहस वडुलाय पर मनन
किचा गया। बाद गौर छा. फा 2/2
स्वीकार किचा जाता है। हाजा-थायल्य
के डुर्व आदेश दि. 13/07/2023 का
दावा ताफेसला उमथपक्षकारान का
पाबन्द किचा जाता है विवादी (आराजी
पर मौका व रिफर् की यथास्थित।
बनाये रखते के आदेश दिचे जाते है
पत्रावली नम्बर से कम होकर कुलका
के सापसलगन होकर जका
SSR
SDO